संख्या- 1144 /15-11-2004

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2004

विषय:- राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (तीमेट), उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित "डिप्लोमा इन एजूकेशनल मैनेजमेंट" पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शा0 पत्रांक-727, दिनांक 26-6-2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयों के शैक्षिक प्रबन्धन एवं निर्वाचन का पठन-पाठन के स्तर में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (तीमेट), उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित डिप्लोमा इन एजूकेशनल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह की होगी तथा प्रशिक्षण निम्न तीन चरणों में होगा:-

प्रथम चरण-	तीन माह	: संस्थान में तथ्य सैद्धान्तिक कार्य ।
द्वितीय चरण-	तीन माह	: प्रशिक्षणार्थी द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में संस्थान के मार्गदर्शनाधीन प्रोजेक्ट ।
तृतीय चरण-	05 दिन	: संस्थान में आयोजित कार्यशाला में प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श तथा संशोधन।

संस्थान में प्रवेश पाने वाले सक्षमता प्राप्त गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों /प्रधानाध्यापकों /प्रवक्ताओं/अध्यापकों को तीमेट में तीन माह रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि को निम्न शर्तों के अधीन ड्यूटी पर माना जायेगा:-

(1) संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 10 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी राजकीय/परिषदीय विद्यालयों से लिये जायेंगे। सरकारी/परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रवक्ताओं/

....2.....

को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकार को किसी प्रकार का वित्तीय व्ययभार वहन नहीं करना है। शेष 90 प्रतिशत प्रतिभागी गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रबन्धकीय विद्यालयों से लिये जायेंगे, जिनसे प्रति प्रतिभागी रू० 3,000/- प्रशिक्षण हेतु लिया जायेगा।

(2) यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक है।

(3) प्रथम चरण के 3 माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिनांक 01 मई से 31 जुलाई तक आयोजित किया जायेगा।

(4) शेष 3 माह के द्वितीय चरण में प्रतिभागी सम्बन्धित विद्यालय में ही रहकर प्रोजेक्ट कार्य करेंगे तथा इस अवधि में सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता प्रोजेक्ट कार्य के साथ-साथ विद्यालय के कार्य और उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे।

(5) 10 प्रतिशत चिन्हित प्रशिक्षणार्थी जो राजकीय/परिषदीय विद्यालयों से लिये जायेंगे वे राजकीय सेवक के रूप में नियमानुसार अध्ययन अवकाश/ राजकीय ड्यूटी पर रहेंगे और उन्हें वेतनादि उनके तैनाती वाले अधिष्ठान से प्राप्त होगा।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
सचिव।

संख्या- 111/15-11-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उ०प्र०, इलाहाबाद।

2- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
सचिव।